

2794

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-9/2015

Order

Dated Shimla-171002, the 30-1-2016

Sub :- Diversion of 0.0297 ha of forest land in favour of Civil Judge (Senior Division-cum-ACJM, Theog, Distt. Shimla) for the construction of Litigant Shed in Theog, within the jurisdiction of Theog Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh.

- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/09/52/2014/2307** दिनांक **15-01-2016** के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.0297** हेक्टेयर वन भूमि को **Civil Judge (Senior Division-cum-ACJM, Theog, Distt. Shimla)** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं।
- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
 - प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार U-490 Chanodnar Beat-Himri, Blocki-Gohach में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 0.0594 है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
 - एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Backward bearing भी अंकित किया जाएगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
 - परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
 - परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
 - वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगा।
 - कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 12 पेड़ों से अधिक न हो।
 - यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 - ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
 - उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

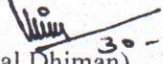
Endst. No FFE-B-F(2)-9/2015 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the,...

Copy is forwarded to :-

30-1-2016

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. Civil Judge (Senior Division-cum-ACJM.Theog, Distt. Shimla)
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt., Shimla, Himachal Pradesh.
6. The Nodal Officer-cum Addl. PCCF (FCA) O/o PCCF (HoFF), Talland Shimla.
7. CF Shimla/ DFO Theog, Forest Division Theog, Distt., Shimla, H.P.
8. Guard File.

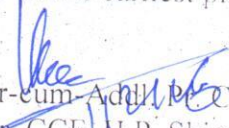

(Sat Pal Dhiman) 30-1-2016
Deputy Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Ft. 48-2794/2015(FCA)

Dated the, Shimla-1

1 FEB 2016

Copy is forwarded to CCF (IT) for information and further necessary action. He is requested to upload the formal order on the Web Site of Forest Department as issued by Addl. Chief Secretasry (Forests) to GoHP at the earliest please.


Nodal Officer-cum-Addl. PCCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1.